छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 1003/2007</u>

1. **श्री राजीव कुमार दुबे,** – *अपीलार्थी*
   शॉप नंबर–3, आर0डी0ए0 काम्पलेक्स,
   टैगोर नगर चौक,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 31 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजीव कुमार दुबे ने दिनांक 06.08.2006 को प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन निरस्त किये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील दिनांक 17.09.2007 को निरस्त करने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 24.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का अवलोकन किया गया । प्रकरण में जानकारी देने से इसलिए मना किया गया कि उक्त सूचना को धारा–8(1)(डी) के अन्तर्गत संवेदनशील प्रकृति का माना गया है, किन्तु अपीलार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि एक अन्य आवेदक श्री सुनील तिवारी को प्रति अपीलार्थी द्वारा यह जानकारी प्रदाय की चुकी है । इस संबंध में जन सूचना अधिकारी ने बताया कि श्री तिवारी को वह जानकारी आयोग के एक अन्य प्रकरण में दिये गये आदेश के अनुसार दी गई है, भले ही यह जानकारी आयोग के आदेशानुसार दी गई हो, जब वह जानकारी एक अन्य आवेदक को दे दी गई है तो उसे वर्तमान आवेदक को देने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है । अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब यह जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क एक सप्ताह में प्रदान की जावे ।

प्रकरण में शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता उपरोक्त स्थिति में प्रतीत नही होती है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त